Neglect of Peripheral States by Delhi Doordarshan

3610. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Delhi Doordarshan is telecasting Delhi Diary and Haryana Diary Programme;

(b) if so, whether Delhi Doordarshan identifies itself with Haryana only; and

(c) what are the reasons for neglecting other peripheral States and not starting similar programmes on Delhi Doordarshan for those States?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir, Delhi Doordarshan covers Haryana also.

(c) The question of neglecting other peripheral/nearby states does not arise as they have their own Doordarshan Kendras.

मानव अंगों का व्यापार

3611. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव अंगों प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 मानव अंगों के व्यापार को रोक पाने में असफल हो गया है और गुर्दे कार्निया आदि जैसे मानव अंगों की बिक्री अब भी चल रही है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं/ किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ग) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 में मानव अंगों के गैर-कानूनी धंधे में लगे व्यक्तियों को दण्ड देने के पर्याप्त प्रावधान हैं। अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम हैं।

यह अधिनियम गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 4.2.1995 से लागू हो गया है। आरम्भ से ही सात और राज्यों (असम, कर्नाटक, केरल, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) ने इस अधिनियम को अंगीकृत कर लिया है। आन्ध्र प्रदेश राज्य ने इसी तरह का अपना आन्ध्र प्रदेश मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम बनाया है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और पंजाब ने सूचित किया है कि उनके द्वारा इस अधिनियम को शीघ्र अंगीकार कर लिए जाने की संभावना है। अधिनियम की मानव अंगों के व्यापार और बिक्री को प्रभावी ढंग से रोकने में सार्थकता का तभी आकलन किया जा सकता है जब सभी राज्य सरकारें इसे अंगीकार कर लें और ईमानदारी से इसे लागू करें। इसलिए शेष अन्य राज्यों से इस अधिनियम को अंगीकार करने का बार-बार अनुरोध किया जा रहा है।

Revenue earned by tax from private Airlines

3612. SHRI ISH DUTT YADAV: SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the revenue earned by Government through tax from each private airlines during the last year, airline-wise;

(b) the name of the airlines which have not paid tax; and

(c) the steps being taken by Government against the erring airlines?

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

International Development Assistance to India reduced

3613. SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the International Development Assistance to India has been reduced for the current year because it is receiving private capital;